पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम) पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड शास्त्री नगर, पटना - 800023

ਚਂ0ਚਂ0:--PMAA/PRN/\(\frac{ADAMPUR}{DANAPUR}\)/G+04/35/2022

- 449

पटना, दिनांक- 07 06 2022

प्रेषक.

प्रभारी निदेशक, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार, बिहार पटना।

सेवा में,

श्री सर्वजीत सिंह एवं अन्य, पिता—श्री सर्वेश सिंह, निवासी—लाल कोठी, दानापुर, पो०+थाना—दानापुर, जिला—बिहार, पटना।

विषय:- प्लान केस संख्या:- PMAA/PRN/ ADAMPUR / G+04/35/2022 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं0:— PMAA/PRN/ ADAMPUR /G+04/35/2022, दिनांक—19.05.2022 के संदर्भ में श्री सर्वजीत सिंह एवं अन्य, पिता—श्री सर्वेश सिंह, निवासी—लाल कोठी, दानापुर, पो०+थाना—दानापुर, जिला—बिहार पटना, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना / पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार / आयोजना स्कीम / पटना मास्टर प्लान—2031 के आलोक में मौजा—आदमपुर, सर्वे थाना—दानापुर, थाना सं०—40, सर्वे प्लॉट सं०—59, खाता सं०—25, के भूखंड आवासीय जोन में है। आवासीय भवन (G+04) दिनांक—01.06.2022 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तो / निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमित प्रदान की जाती है।

- 1. भूमि / भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
- 2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमित के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
- 3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 335.05 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
- 4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
- 5. भूखण्ड के पश्चिम में 12.66मी० से 11.66मी० तथा उत्तर में 4.89मी० से 5.23मी० चौड़ी दर्तमान सड़क अवस्थित है, परन्तु 6.10मी० चौड़ी सड़क चौड़ीकरण हेतु आवेदक द्वारा वांछित भूपट्टी 13.71वर्गमी० भूखण्ड छोड़कर ही चहारीवारी का निर्माण करना होगा।

- 6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
- 7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमित को उस भूखण्ड़ जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
- 8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू—अभिलेख के कारण या अधिकार / हक / हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
- 9. भू—स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर—फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- 10. निर्माणकर्त्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि—2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
- 11. बिहार भू—सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली—2017 की शर्तो के अधीन राज्य में गठित भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
- 12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग / श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्त्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
- 13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
- 14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
- 15. बिहार भवन उपविधि—2014, एवं संशोधित (2022) तथा पटना मास्टर प्लान—2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निमार्ण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
- 16. बिहार भवन उपविधि—2014, एवं संशोधित भवन उपविधि (2022) तथा पटना मास्टर प्लान—2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया एवं अन्य प्रावधानों का प्रावधान किया जाए।

विश्वासभाजन

प्रभारी निदेशक, 71 मिळ २२

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।